न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियॉ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 03/2021 अपील
GCMS No. –2021/230

देवकन्या पत्नि बलवन्त कुमार जाति नायक निवासी करथाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज0)।

अपीलान्ट

बनाम

1. रत्नी पुत्री देवीलाल जी जाति नायक निवासी करथाना तहसील निम्बोहड़ा (राज0)।
2. बलवन्त पुत्र देवीलाल जी जाति नायक निवासी करथाना तहसील निम्बोहड़ा (राज0)।
3. ग्राम पंचायत बडौली घाटा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा (राज0)।

रेस्पांडेन्ट्स

अपील विरुद्ध नामांतरण संख्या 778 ग्रम पंचायत बडौली घाटा

उपस्थितः– 1– श्री अनिल पाटीदार – अधिवक्ता अपीलान्ट
2– रेस्पोडेन्ट कमांक 1 से 4 अनुपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक :–05.01.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने एक अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत इस आशय की प्रस्तुत करी की अपीलान्ट के ससूर जी की कृषि आराजियात जो उनकी खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड थी जिसका आराजी नंबर 561/153, 562/153, 563/153 रकबा 2 बीघा 12 बीस्वा अपीलान्ट के ससूर देवीलाल पिता घीसा जी नायक की मृत्यु दिनांक 13.08.2008 को हो गई थी देवीलाल जी ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत नामा अपीलान्ट देवकन्या के पक्ष में दिनांक 18.07.2004 को निष्पादित किया था अपीलान्ट ने ही अपने ससूर की सेवा चाकरी करी एवं वृद्धा अवस्था में उनकी देखभाल करी जिससे प्रसन्न होकर उसके ससूर देवीलाल पिता घीसाजी नायक ने उक्त आराजी अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत कर दी थी रेस्पोडेन्ट नंबर 1 जो अपीलान्ट की ननंद है देवीलाल जी के जीवन काल में ही उनकी इच्छा के विरुद्ध 6–7 अलग अलग लोगों से विवाह किया जिससे देवीलाल जी ने अपने जीवन काल में ही रेस्पोडेन्ट नंबर 1 रत्नी से सारे विवाह समाप्त कर लिए किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं रखा व अपनी समस्त चल अचल संपत्ति से उसे बेदखल कर दिया जिससे उक्त संपत्ति में उसका कोई हक अधिकार किसी हैसियत से नहीं रहा वहीं रेस्पोडेन्ट नंबर 2 बलवन्त शराब पीने का आदी है वह न तो घर की जिम्मेदारियां निभाता है न ही उक्त कृषि आराजी की कोई देखभाल करता है रेस्पोडेन्ट कमांक 1 व 2 दोनों ने आपस में मिलकर साजिश रचकर अपीलान्ट से छुपाकर नामांतरण संख्या 778 ग्राम करथाना का ग्राम पंचायत बडौली घाटा से अपने नाम करवा लिया जबकि अपीलान्ट के ससुर देवीलाल जी ने अपनी समस्त चल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:12:01 IST
Reason: SelfAttested

अचल संपत्ति अपने पुत्रवधु के नाम रूबरू गवाहान खुद के हाथ से वसीयतनामा लिखकर उक्त भूमि से एकमात्र स्वामी घोशित किया वसीयतनामे से ही अपीलान्ट उक्त भूमि पर का त करती चली आ रही है अभी हाल ही में अपीलान्ट राज्य सरका द्वारा घोशित सहायताओं को प्राप्त करने हेतु उक्त कृशि आराजी की नकल लेने हेतु आवेदन किया तो उन्हें इस षड़यंत्र की जानकारी हुई कि रेस्पाडेन्ट क्रमांक 1 व 2 ने रेस्पोडेन्ट क्रमांक 3 व 4 से मिलकर मन मकसूद तरीके से नियमों को ताक में रखकर उक्त कृषि भूमि का नामांतरण करवा लिया कोई सुनवाई का मौका प्रार्थीया अपीलान्ट को नहीं दिया ना ही कोई नोटिस प्रार्थीया अपीलान्ट को जारी किया और बिना प्रार्थीया अपीलान्ट का पक्ष सुने गलत तरीके से उक्त भूमि अपने नाम करवा ली जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है जिसके साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया और विलंब को माफ करते हुए अपील अपीलान्ट अंतर अवधि शुमार कर उक्त नामांतरण संख्या 778 दिनांक 21.09.2009 को निरस्त कर पुनः वारिसान की जांच कर दस्तावेजों की जांच कर देवीलाल पिता घासीजी नायक की विरासत तय करने हेतु निवेदन किया।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पाडेन्ट को सूचना पत्र प्रेशित किए गए परंतु रेस्पोडेन्ट 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे उन्हें तीन बार आवाज लगवाई गई परंतु उपस्थित नहीं होने से पत्रावली में उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। बहस अपीलान्ट एकपक्षीय सुनी गई।

3. अपीलान्ट की बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली का ध्यानूपर्वक अवलोकन किया गया अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का भी अवलोकन किया गया उक्त नामांतरण संख्या 778 को निर्णीत करने से पूर्व अपीलान्ट को न तो कोई सूचना पत्र प्रेषित की ना ही उसे सुनवाई का कोई उचित अवसर दिया अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिस पर भी ग्राम पंचायत बडौली घाटा ने कोई सुनवाई नहीं की जिस कारण अपील अपीलान्ट अंदर अवधि स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर ग्राम पंचायत बडौली घाटा द्वारा ग्राम करथाना की नामांतरण संख्या 778 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को पत्रावली रिमाण्ड कर आदेश दिये जाते है कि मृतक देवीलाल पिता घासी नायक के वारीसानों की जांच कर सुनवाई का अवसर देते हुए, मृतक दवीलाल द्वारा की गई वसीयत की जांच, पैतृक सम्पत्ति की विधिवत जांच कर नामान्तरण की कार्यवाही करें।

5. निर्णय आज दिनांक 05.01.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़ियॉ)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:12:01 IST
Reason: SelfAttested